शा. वि. बनसू
प्रकरण क्रमांक 35/2024

Witness No.....**04**.....for....अभियोजन साक्षी.....deposition taken this .....**20**...day of. **फरवरी** ...**2025**..... Witness's apparent age.....**22**.....years States on affirmative-.....**...शपथ...**/ My name is ….....**प्रमोद यादव**..... S/w/of.....**श्री रामचरण यादव**.....Occupation .....**खेती**..... Address**..**.....**देवरी थाना करंजिया जिला डिण्डोरी म0प्र0**.....

1. मैं ग्राम देवरी में रहता हूं तथा खेती किसानी का काम करता हूं। अभियुक्त बनसू मेरा ससुर है तथा मेकीनबाई मेरी सास थी, जिसकी मृत्यु हो गयी है।

2. मेरी सास के पेट में दर्द था इस कारण उसकी मृत्यु हो गयी है। घटना को हुए तीन चार माह हो गया है। पेट में दर्द होने पर मैं अपने साला रविन्द्र के साथ पहले केंवची अस्पताल और उसके बाद गौरेला सामु.स्वा.के. ले गया था। जिस दिन ले गये थे उसके दूसरे दिन सुबह उसकी मृत्यु हो गयी थी। मैं उस समय आवश्यक कार्य से घर गया था। मेरा साला रविन्द्र अस्पताल में था। उसने मुझे फोन कर मेरी सास की मृत्यु के खबर दिया था।

3. मैं, मेरा ससुर, मेरी पत्नी आरती तीनों गौरेला अस्पताल गये थे। घटना के संबंध में पुलिस वालों ने पूछताछ कर मेरा बयान नहीं लिया था। पुलिस ने शव पंचनामा तैयार किया था। शव का नक्शा पंचायतनामा प्र0पी02 के स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

4. पुलिस ने घटनास्थल मेरे ससुराल घर आया था और वहां का नक्शा बनाकर उस पर मेरा हस्ताक्षर लिया था, जो प्र0पी03 है, जिसके ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

5. पुलिस ने मेरे ससुर बनस कुमार यादव को गिरफ्तार कर ले गये थे, गिरफ्तारी प्र0पी09 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे ससुर को गिरफ्तार कर ले जाने के बाद मुझे उसकी सूचना दिया था, जो प्र0पी010 है, जिसके अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर किया हूं।

टीपः— इसी स्तर पर साक्षी को लोक अभियोजक ने पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही। अभिलेख के अवलोकन उपरांत अनुमति दी गयी।

सूचक प्रश्न श्री रजनीकांत सिंह, लोक अभियोजक

6. यह सही है कि घटना दिनांक 07.09.2024 की है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे ससुर ने मेरी सास को अभी तक खाना नहीं बनायी हो और खाना बनाने में विलम्ब किये हो कहकर उसके पेट में लात से मार दिया था। यह सही है कि मेरी सास के पेट में गंभीर चोंट था, जिसका ईलाज कराने के लिए अस्पताल ले गये थे। यह सही है कि उसी चोंट के कारण अस्पताल में ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी। यह कहना गलत है कि मैंने मेरी सास की मृत्यु के बाद जांच के दौरान पुलिस को दिये अपने मर्ग बयान प्र0पी011 में उक्त बात बता दिया था। यह कहना गलत है कि आरोपी मेरा ससुर लगता है, इसलिये उसे बचाने के लिए आज मैं सही बात नहीं बता रहा हूं।

<u>प्रति परीक्षण श्री टीकम चंद्राकर चीफ एल.ए.ड.सी.</u>

7. यह सही है कि मेरी सास की मृत्यु के लगभग 15 दिन पहले मैं हैदराबाद से अपने ससुराल गांव लमनी गया था। यह सही है कि मैं अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रहता था और सास ससुर भी वहीं रहते थे, उनके बीच कोई विवाद नहीं था। यह सही है कि मैं अपनी सास–ससुर के मध्य वाद–विवाद या लडाई–झगडा होते हुए नहीं देखा है।

8. यह सही है कि जिस दिन मेरी सास के पेट में दर्द उठा था, उस दिन मेरे ससुर और साला खेत गये थे। यह सही है कि उस दिन घर में मैं, मेरी सास, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा था। यह सही है कि मेरी सास को जिस प्रकार पेट में दर्द हुआ था, उसी प्रकार का दर्द उसे पहले भी होता था। यह सही है कि उसी दर्द का ईलाज कराने अस्पताल ले गये थे।

9. यह सही है कि मैं अस्पताल गौरेला से सुबह 6 बजे ग्राम लमनी आया था, उस समय मेरी सास जीवित थी। यह सही है कि मैं ग्राम लमनी से अपने ससुर, अपनी पत्नी को मोटर सायकिल में बैठाकर गौरेला अस्पताल ले गया था। यह सही है कि अस्पताल जाने के बाद मुझे पता चला था कि मेरी सास की मृत्यु हो गयी थी।

10. मुझे नहीं मालूम कि बनस यादव डॉक्टरों को मेरी पत्नी का ईलाज नहीं किये हो, तुम्हारे नाम से उसकी मृत्यु हो गयी है कह रहा था। यह सही है कि मेरा ससुर यदि मेरी सास को मारते तो मुझे जानकारी हो जाती। यह सही है कि मेरी सास की मृत्यु उसके पेट में पूर्व से होने वाले दर्द के कारण हुई थी। ऐसा हो सकता है कि पुलिस वाले डॉक्टर को बचाने के लिए मेरे ससुर को अभियुक्त बना दिया है।

11. यह सही है कि पुलिस वालों ने थाना में सभी कागजातों पर हस्ताक्षर कराया था। यह सही है कि पुलिस वालों ने मुझे किसी भी कागज को पढकर नहीं बताया था और न ही समझाया था।

12. यह सही है कि मैं पढा लिखा नहीं हूं तथा मेरी सास की मृत्यु हो गयी थी, जिसके संबंध में पुलिस वाले लिखा पढी कर रहे होंगे कहकर मैंने हस्ताक्षर कर दिया था ।

साक्षी को बयान पढ़कर सुनाया
सही होना स्वीकार किया।
सही/–

(चन्द्र कुमार अजगल्ले)
सत्र न्यायाधीश,
मुंगेली छ0ग0

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–

(चन्द्र कुमार अजगल्ले)
सत्र न्यायाधीश,
मुंगेली छ0ग0